

पुनः के समझ 14. 21.16 -

180
185

8-1-25

श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

श्री बदरलाल नेहरा, सदस्य

वकील अपीलान्ट को बार-बार

आवाजे लगावाए जाईं । वावजूद सुचना के अन्तु
परिष्कार व वकील अपीलान्ट द्वारा पूर्व आदेश दिनांक
20-10-17 की पालना आज दिनांक तक नहीं की
जाई । मण्डल के पूर्व आदेशों की पालना नहीं करने
पर प्रकरण अदम दायरी एवं अदम पैर की मुँव
स्वादिन अदम तकमील में स्वादिन किया जाता है
पभावली मैकल शुमार होकर स्वादिन दफ्तर
हो ।

आदेश सुनाया गया ।



सदस्य

राजेश कुमार दड़िया

सदस्य



सदस्य

बदरलाल नेहरा

सदस्य